

भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

.....
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

देश में पेयजल की कमी

2. श्री शादी लाल बत्रा:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत शामिल देश के अधिकांश ग्रामों में पेयजल की कमी के बारे में जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में उनके राज्य-वार परिणामों के संबंध में इसकी समीक्षा करने का विचार रखती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेयजल और स्वच्छता मंत्री

(श्री जयराम रमेश)

(क) और (ख) : दिनांक 01.04.2011 तक की स्थिति के अनुसार देश में 16.64 लाख ग्रामीण बसावटें हैं। मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इनमें से 1.21 लाख बसावटों में उपलब्ध पेयजल स्रोत गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित हैं जबकि 3.75 लाख बसावटें आंशिक रूप से लाभान्वित हैं। शेष बसावटें पूर्णतः लाभान्वित हैं। राज्यों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं में उन बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनके पेयजल स्रोत गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित हैं और जो आंशिक रूप से लाभान्वित हैं। प्रभावित गुणवत्ता वाली और आंशिक रूप से लाभान्वित बसावटों तथा वर्ष 2011-12 में लाभान्वित किए जाने के लिए लक्षित बसावटों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। कार्यक्रम की समीक्षा के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन तंत्र में सुधार तथा दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाते हैं। इस कार्यक्रम की हाल ही में हुई समीक्षा के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि पानी की गुणवत्ता की निगरानी और जांच के लिए राज्यों को निर्धारित 3% निधियां जारी की जाएं। इसके अतिरिक्त रिलीज प्रबंधन हस्तांतरण संसूचक तैयार किया गया है, ताकि पंचायती राज संस्थाओं को पेयजल आपूर्ति स्कीमों का प्रबंधन सौंपने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा सके। पिछले तीन वर्षों में वास्तविक (लक्ष्य और उपलब्धि) तथा वित्तीय (आवंटन, रिलीज और व्यय) प्रगति का राज्य वार ब्यौरा अनुबंध-II और III में दर्शाया गया है।

दिनांक 22.11.2011 को उत्तर के लिए राज्य सभा अत्याधिकत प्रश्न संख्या 2 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
1.4.2011 तक की स्थिति के अनुसार बसावटों और वर्ष 2011-12 में लक्षित एवं लाभाञ्जित बसावटों की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	कुल बसावटें 1.4.2011 तक	प्रभाविता गुणवत्ता वाली बसावटें				आंशिक रूप से लाभाञ्जित बसावटें			
			1.4.2011 तक	2011-12 में लक्षित	2011-12 में उपलब्धि	1.4.2011 तक	2011-12 में लक्षित	2011-12 में उपलब्धि		
1	आंध्र प्रदेश	72407	585	201	13	31671	5433	1282		
2	बिहार	107642	18427	6375	1099	14837	9435	1914		
3	छत्तीसगढ़	72329	7845	3283	470	30899	5126	2322		
4	गोवा	347	0	0	0	45	0	0		
5	गुजरात	34415	323	405	85	1106	720	274		
6	हरियाणा	7385	30	23	6	1964	839	256		
7	हिमाचल प्रदेश	53201	0	0	0	13561	2557	1172		
8	जम्मू व कश्मीर	12826	26	20	0	7267	903	0		
9	झारखंड	120154	808	804	18	1494	18306	1433		
10	कर्नाटक	59532	7599	2000	321	28157	7000	1927		
11	केरल	11883	969	157	35	0	667	51		
12	मध्य प्रदेश	127197	2917	575	235	48246	16140	8098		
13	महाराष्ट्र	98842	2696	1272	415	13596	5135	1516		
14	उड़ीसा	141928	14810	1609	617	58258	3116	2158		
15	पंजाब	15338	55	22	5	3407	1608	325		
16	राजस्थान	121133	31698	3801	1714	24962	2272	983		
17	तमिलनाडु	94500	509	77	3	8077	5923	109		
18	उत्तर प्रदेश	260110	1038	800	115	36337	22500	4350		
19	उत्तराखंड	39142	14	0	0	12176	1341	400		
20	प. बंगाल	35395	5546	4160	326	3891	1934	939		
21	अरुणाचल प्रदेश	5612	0	0	0	2760	300	21		
22	असम	86976	18683	3158	803	25801	2915	706		
23	मणिपुर	2870	4	4	0	1477	326	146		
24	मेघालय	9326	102	12	2	4185	523	173		
25	मिजोरम	777	0	0	0	188	125	5		
26	नागालैंड	1432	166	50	13	363	35	40		
27	सिक्किम	2498	0	0	0	742	200	20		
28	त्रिपुरा	8132	6196	982	307	54	0	76		
29	अ. व नि. द्वीप समूह	491	0	0	0	58	0	0		
30	चंडीगढ़	18	0	0	0	0	0	0		
31	दादर व नागर हवेली	70	0	0	0	70	0	0		
32	दमन व दीप	21	0	0	0	21	0	0		
33	लक्षद्वीप	9	0	0	0	9	0	0		
34	पुद्दुचेरी	248	0	0	0	4	0	0		
कुल		1664186	121046	29790	6602	375483	115379	30696		

* समीकित प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार 18.11.2011 तक।

दिनांक 22.11.2011 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक वास्तविक प्रगति

क्रम सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
		लक्ष्य	लाभान्वित	लक्ष्य	लाभान्वित	लक्ष्य	लाभान्वित
1	आंध्र प्रदेश	15889	15647	8500	5374	6673	6971
2	अरुणाचल प्रदेश	2390	905	2400	567	534	601
3	असम	23099	8703	23000	12004	8157	6467
4	बिहार	39856	25785	40508	26622	18749	14221
5	छत्तीसगढ़	4408	8178	3551	12002	9948	7847
6	गोवा	3	4	0	0	0	0
7	गुजरात	4232	2374	1396	1441	1100	1079
8	हरियाणा	635	965	950	885	1007	752
9	हिमाचल प्रदेश	5184	6390	5000	5204	5000	5094
10	जम्मू व कश्मीर	4704	2234	4700	424	962	903
11	झारखंड	7170	6832	1552	14605	1099	11399
12	कर्नाटक	12950	5586	13000	11625	8750	6730
13	केरल	4596	7650	395	241	744	405
14	मध्य प्रदेश	3718	5302	4500	10781	13300	13937
15	महाराष्ट्र	19877	17128	8605	7465	9745	8987
16	मणिपुर	0	115	730	158	330	227
17	मेघालय	1881	1116	500	407	840	380
18	मिजोरम	306	46	300	124	124	121
19	नागालैंड	170	584	200	84	105	128
20	उड़ीसा	16492	13507	3452	9525	5494	7525
21	पंजाब	4933	1523	1651	1874	2023	1658
22	राजस्थान	25654	7434	10929	10388	7764	7254
23	सिक्किम	300	27	300	110	175	100
24	तमिलनाडु	4602	9097	7000	8206	8009	7039
25	त्रिपुरा	138	555	3132	843	825	976
26	उत्तर प्रदेश	1639	1190	2000	1874	2142	1879
27	उत्तरांचल	1450	1351	1199	1200	1565	1324
28	पश्चिम बंगाल	11460	2747	9093	4806	6630	5967
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	34	0	42	0	8	
30	वाकर व नाग हवेली	0	0	0	0		
31	दमन व दीव	0		0			
32	दिल्ली	0		0			
33	लक्षद्वीप	10		0			10
34	माडिचेरी	18	15	4	40		12
कुल		217898	152990	158589	148879	121812	119393

अनुबंध -III
दिनांक 22.11.2011 को उत्तर के लिए राज्य सभा अत्याधिकत प्रश्न संख्या 2 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक वित्तीय प्रगति

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य	2008-09			2009-10			2010-11		
		आवदन	वित्तीय	घय	आवदन	वित्तीय	घय	आवदन	वित्तीय	घय
1	आंध्र प्रदेश	394.53	395.05	398.05	437.09	537.37	394.45	491.02	558.74	423.38
2	अरुणाचल प्रदेश	146.12	162.46	160.97	180.00	178.20	193.79	123.35	199.99	176.55
3	असम	246.44	187.57	265.40	301.60	323.50	269.34	449.64	487.48	480.55
4	बिहार	425.38	452.38	73.30	372.21	186.11	279.36	341.46	170.73	425.91
5	छत्तीसगढ़	130.42	125.26	112.42	116.01	128.22	104.06	130.27	122.01	97.77
6	गोवा	3.98	0.00	0.00	5.64	3.32	0.50	5.34	0.00	1.16
7	गुजरात	314.44	369.44	289.33	482.75	482.75	515.68	542.67	609.10	610.50
8	हरियाणा	117.29	117.29	117.29	207.89	206.89	132.35	233.69	276.90	201.57
9	हिमाचल प्रदेश	141.51	141.51	141.49	138.52	182.85	160.03	133.71	194.37	165.59
10	जम्मू व कश्मीर	397.86	396.49	176.67	447.74	402.51	383.49	449.22	468.91	506.52
11	झारखंड	160.67	80.33	18.85	149.29	111.34	86.04	165.93	129.95	128.19
12	कर्नाटक	477.19	477.85	449.15	573.67	627.86	473.71	644.92	703.80	573.93
13	केरल	103.33	106.97	106.56	152.77	151.89	150.56	144.28	159.83	137.97
14	मध्य प्रदेश	370.47	380.47	368.61	367.66	379.66	354.30	399.04	388.33	324.94
15	महाराष्ट्र	572.57	648.24	511.06	652.43	647.81	625.59	733.27	718.42	713.48
16	मणिपुर	50.16	45.23	36.33	61.60	38.57	30.17	54.61	52.77	69.27
17	मेघालय	57.79	63.38	74.50	70.40	79.40	68.57	63.48	84.88	70.47
18	मिजोरम	41.44	54.19	45.48	50.40	55.26	51.11	46.00	61.58	58.02
19	नागालैंड	42.53	42.53	39.60	52.00	47.06	71.58	79.51	77.52	80.63
20	उत्कीशा	298.68	298.68	273.12	187.13	226.66	198.86	204.88	294.76	211.11
21	पंजाब	86.56	86.56	96.68	81.17	88.81	110.15	82.21	106.59	108.93
22	राजस्थान	970.13	971.83	967.95	1036.46	1012.16	671.30	1165.44	1099.48	852.82
23	सिक्किम	17.45	32.45	28.85	21.60	20.60	28.99	26.24	23.20	19.51
24	तमिलनाडु	241.82	287.82	230.58	320.43	317.95	370.45	316.91	393.53	303.41
25	त्रिपुरा	51.25	41.01	36.99	62.40	77.40	77.35	57.17	74.66	67.20
26	उत्तर प्रदेश	539.74	615.78	514.54	959.12	956.36	967.39	899.12	848.68	933.28
27	उत्तरांचल	107.58	85.87	61.09	126.16	124.90	67.24	139.39	136.41	55.44
28	पश्चिम बंगाल	389.39	389.39	371.62	372.29	394.30	368.77	418.03	499.19	420.22
29	अंडमान निकोबार									
30	द्वीप समूह	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00		1.01	0.00	
31	वाटर व नगर हस्की	0.00	0.00		0.00	0.00		1.09	0.00	
32	दमन व द्वीप	0.00	0.00		0.00	0.00		0.61	0.00	
33	दिल्ली	0.00	0.00		0.00	0.00		4.31	0.00	
34	नगरीय	0.00	0.00		0.00	0.00		0.24	0.00	
35	पारिवर्तनी	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.54	0.00	
कुल		6896.72	7056.02	5998.27	7986.43	7989.72	7205.18	8550.00	8941.81	8218.31